



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार/Regional Office, Bihar**  
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001  
Panchdeep Bhawan, Nehru Marg, Patna - 01  
✉ rd-bihar@esic.gov.in ✉ EsicPatna ☎ 0612-2521928  
🌐 www.esic.gov.in/robihar.esic.gov.in 📘 Esicpatna

सं. 42-A-22-13/14/2025-2026

दिनांक: 06-04-2026

**कार्यालय आदेश सं. / Office Order No. 70/2026**

क्षेत्रीय निदेशक, पटना बिहार ने निम्नलिखित अधिकारी के पदस्थापना / कार्य आवंटन के आदेश दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है:-

The Regional Director, Patna, Bihar has issued the following orders regarding the posting/work allocation of the officer, which shall come into effect immediately: -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कर्मचारी सं.	वर्तमान तैनाती	आदेशित तैनाती
1	श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक	101085	क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	हितलाभ शाखा, वसूली शाखा, विधि शाखा एवं आधार सीडिंग सेल

क्षेत्रीय निदेशक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (RTI) तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 (पूर्व में ई.एस.आई. अधिनियम, 1948 की धारा 85-बी) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी होंगे, जहां हर्जाने की राशि ₹50,000/- से अधिक हो।

The Regional Director will be the First Appellate Authority (RTI) and the Authorized Officer u/s 128 of CoSS, 2020 (erstwhile 85-B of ESI Act, 1948) where amount of Damage exceeds Rs. 50000/-.

संबंधित अधिकारी कार्यग्रहण प्रतिवेदन (उचित माध्यम से) प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को प्रेषित करें।

The concerned officer shall submit the joining report (through the proper channel) to the Administration Branch, Regional Office, Patna.

सेवा में/To,

संबंधित अधिकारी/The concerned officer.

सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना।
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना।
3. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सहायक कक्ष।
4. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना।
5. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/DCBO, बिहार क्षेत्र।
6. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव।
7. शाखा अधिकारी (ई.डी.पी. शाखा) को बिहार क्षेत्र की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।